

कायालय नगर पारषद, पाला (राज0)

(लालबहादुर शास्त्री टाऊन हॉल, सुरजपोल के पास, पाली-मारवाड़, राज0, पिनकोड-306401)

(टेली-फेक्स:-02932-221301,ई-मेल:-cmcpali@yahoo.co.in,वेब-साईट www.mcpali.com)

क्रमांक प.18 () अग्नि/2020/1570

दिनांक :- 02.10.2020

-: अनापति प्रमाण पत्र:-


प्रेषित :- सेन्ट पॉल सिनियर सेकेन्डरी स्कूल पाली

विषया :-अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग :-आपके पत्र के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की सेन्ट पॉल सिनियर सेकेन्डरी स्कूल पाली के स्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र सही एवं चालु हालत में पाये गये। अतः अग्नि सुरक्षा व्यावस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुए यह अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा ।
2. एक वर्ष के पश्चात अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा
3. स्कूल के समस्त स्टॉफ व सिव्योरिटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा ।
4. स्कूल में अग्निशमन यंत्रों को चालु हालात में रखना होगा ।
5. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा ।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे ।
7. स्कूल का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत (चालु हालत) नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जायेगा ।
8. यदि राज्य सरकारी/परिषद द्वारा भविष्य में कोई नियम /उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा ।
9. यह अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा ।
10. आपात सेवाओं के दुरभाष नम्बर व घुम्रपान निषेध का सायरन बोर्ड लगाना होगा ।
11. स्कूल में EXIT SIGNAL बोर्ड लगाना होगा ।
12. स्कूल में आने व जाने के लिये रास्ते खुला रखना होगा ।
13. स्कूल में पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी ।
14. स्कूल के व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली की व्यवस्था रखनी होगी ।
15. प्रस्तावित सेन्ट पॉल सिनियर सेकेन्डरी स्कूल पाली को बिन्दु सं: 1 से 15 तक बिन्दुओं की पालना करनी होगी ।


सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, पाली
सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद पाली।